संचिका सं0–10/बैठक–17–07/2013...........186(10)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक– 26-6-2019

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2019–20 में सीतामढ़ी जिलान्तर्गत 75 शैय्या वाले अनुमंडलीय अस्पताल, पुपरी के अवशेष निर्माण कार्य हेतु कुल रुपये 95,86,149/– (पन्चानवे लाख छियासी हजार एक सौ उनचास रुपये) व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत 75 शैय्या वाले अनुमंडलीय अस्पताल, पुपरी के अवशेष निर्माण कार्य के भुगतान हेतु भवन निर्माण विभाग के पत्रांक–4661 (भ) अनु०, दिनांक–22.05.2019 एवं कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सीतामढ़ी के पत्रांक–588 अनु०, दिनांक–27.04.2019 कुल रुपये 95,86,149/–(पन्चानवे लाख छियासी हजार एक सौ उनचास रुपये) की मांग की गयी है, जिसकी प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

2. ज्ञातव्य है कि स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक–339(10), दिनांक–26.11.2005 द्वारा राज्य के 20 अनुमंडलीय अस्पतालों के भवनों का निर्माण हेतु रुपये 9825.80 लाख (अन्ठानवे करोड़ पच्चीस लाख अस्सी हजार रुपये) के प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी, जिसमें पुपरी अनुमंडलीय अस्पताल के भवन निर्माण योजना हेतु रुपये 4,91,29,000/–(चार करोड़ इक्यानवे लाख उनतीस हजार रुपये) की प्रशासनिक स्वीकृति मुख्यशीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–110–अस्पताल तथा औषधालय–0014–अवर प्रमंडलीय अस्पताल, विपत्र कोड–N2210011100014 अन्तर्गत प्रदान की गयी थी। यद्यपि, यह विपत्र कोड आज मृत्यप्राय स्थिति में है।

उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में भवन निर्माण विभाग द्वारा संबंधित पत्र से बताया गया है कि सीतामढी जिलान्तर्गत अनुमंडलीय अस्पताल, पुपरी हेतु प्राप्त रुपये 4,85,00,000/–(चार करोड़ पचासी लाख रुपये) के आवंटन के विरूद्ध कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सीतामढ़ी द्वारा रुपये 3,25,87,895/–(तीन करोड़ पच्चीस लाख सतासी हजार आठ सौ पन्चानवे रुपये) का भुगतान एवं रुपये 1,59,12,105/–(एक करोड़ उनसठ लाख बारह हजार एक सौ पाँच रुपये) का प्रत्यर्पण किया गया। भवन निर्माण विभाग द्वारा योजना के अवशेष कार्य हेतु संवेदक से 95,86,149/– (पन्चानवे लाख छियासी हजार एक सौ उनचास रुपये) का एकरारनामा करते हुए कार्य पूर्ण करा लिया गया है। इसी राशि का भुगतान मांग संख्या–03 अन्तर्गत मुख्यशीर्ष–4210 के विपत्र कोड–03–4210011100116 से की जानी है।

3. यह कार्य भवन निर्माण विभाग के द्वारा कराया जायेगा। भवन हस्तान्तरण से पूर्व अथवा अन्य कार्य कराते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जायेगाः–

(i) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व इसकी संतुष्टि प्राप्त कर ली जायेगी कि संबंधित कार्य किसी अन्य योजना से नही कराया जा रहा हो या पूर्व में नहीं कराया गया हो।

(ii) यह कार्य तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के मुताबिक ही कराया गया है।

(iii) राशि का व्यय/भुगतान भवन के पूर्ण निर्माण तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के मुताबिक पूर्ण होने के उपरान्त आवश्यकतानुसार की जायेगी।

(iv) कार्य का सघन पर्यवेक्षण भवन निर्माण विभाग द्वारा अधिकृत नामित पदाधिकारी/एजेन्सी द्वारा कराया जायेगा। भवन निर्माण कार्य में सामग्री की गुणवत्ता प्रभावित न हो, इसकी जिम्मेवारी भी संबंधित पदाधिकारी/एजेंसी की ही होगी। सिविल सर्जन एवं प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा भी यह सम्पुष्टि कर ली जाएगी कि प्राक्कलन के अनुरूप कार्य सम्पन्न करा लिया गया है।

(v) संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रगति प्रतिवेदन भवन निर्माण विभाग के माध्यम से समर्पित किया जायेगा, जबतक कि भवन पूर्ण हस्तान्तरित न हो जाय।

4. इस पर होने वाले व्यय का वहन वित्तीय वर्ष 2019–20 के मांग सं0–03 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–110–अस्पताल तथा औषधालय –0116 शहरी अस्पतालों के भवनों का निर्माण, विषय शीर्ष–(53 01) मुख्य निर्माण कार्य विपत्र कोड–03-4210011100116 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

5. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे ।

6. यह राज्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2) दिनांक–17.04.1998, 2419/वि0(2) दिनांक–05.04.2007, 8593/वि0(2) दिनांक–27.11.2007, 96/वि0(2) दिनांक–03.01.2008, 3923/वि0(2) दिनांक–09.04.2010, 1014/वि0(2) दिनांक–03.02.2011, 1752/वि0(2), दिनांक–01.03.2011 एवं 2837/वि0(2) दिनांक–29.03.2011 एवं अद्यतन परिपत्र के आलोक में निर्गत किया जा रहा है ।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2) दिनांक–17.04.1998 में निकासी से संबंधित निदेश का अनुपालन करते हुए राशि की निकासी करेंगे ।

8. प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है ।

9. प्रस्ताव एवं प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–10/बैठक–17–07/2013 के पृष्ठ–70/टि0 पर प्राप्त है ।

10. राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/उपकोषागार से की जायेगी ।

11. यह मात्र स्वीकृत्यादेश है । आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा ।

12. संबंधित राशि की निकासी में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

24/6/19

(राधेश्याम साह)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांकः– 186 (10) /स्वा0, पटना, दिनांकः– 26-6-2019

प्रतिलिपि–योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी/सिविल सर्जन, सीतामढ़ी/कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना एवं विश्वरैया भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी–10/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/6/19

सरकार के विशेष सचिव ।

D:\DEP-10\Nagmani Kr\Rajayadesh_Awantanadesh\2019-20\75 beds Ams Hos Pupari (Sitamarhi).doc